कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्रीमती सुनीता सामरिया व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि सेमलपुरा चित्तौडगढ का स्थानांतरण राउमावि गोपालपुरा, भैंसरोडगढ, चित्तौडगढ किया गया। श्रीमती सुनीता सामरिया ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर में अपील संख्या 510/2019 सुनीता सामरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 510/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 15.10.19 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती सुनीता सामरिया को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्रीमती सुनीता सामरिया द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के सास व ससुर हृदय बीमारी से ग्रसित होने व स्थानांतरित स्थान निवास स्थान से 125 किमी की दूरी पर स्थित होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि सेमलिया, चित्तौडगढ, राउमावि (श.मे.न.) चित्तौडगढ, राबाउमावि शहर, चित्तौडगढ एवम् राउमावि चौगावडी, बेंगू चित्तौडगढ की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। माननीय अधिकरण के क्रम में अपीलार्थी श्रीमती सुनीता सामरिया व्याख्याता राजनीति विज्ञान के स्थान पर अन्य व्यक्ति का पदस्थापन हो जाने एवं उनके द्वारा कार्यग्रहण कर लेने के कारण पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में इनका समायोजन राउमावि चौगावाडी, गंगरार, बेंगू, चित्तौडगढ के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

श्रीमती सुनीता सामरिया को निर्देशित किया जाता है कि ये तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि चौगावाडी, गंगरार, बेंगू, चित्तौडगढ में व्याख्याता के पद पर दिनांक 11.11.19 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19–20/60 दिनांकः– 05/11/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
02. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.........................।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा...........................।
04. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, ...।
05. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) ....।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
08. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि. ....।
09. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)